

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन, छत्तीसगढ़
विधानसभा भवन, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

निर्वाचन की सूचना

क्रमांक-विधान/रा.स. निर्वाचन/2016(1) .— एतद्वारा सूचना दी जाती है कि -

- (1) छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के दो सदस्यों का निर्वाचन होना है.
- (2) नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या उनकी अनुपस्थिति में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, रायपुर में परिदत्त किये जा सकेंगे;
- (3) नाम-निर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे;
- (4) नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, रायपुर में दिनांक 1 जून, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे लिये जाएंगे;
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 3 जून, 2016 को 3.00 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 11 जून, 2016 को पूर्वाह्न 9.00 बजे और अपराह्न 4.00 बजे के बीच मतदान होगा.

स्थान: रायपुर
तारीख: 24 मई, 2016
(ज्येष्ठ 3, 1938)

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, COUNCIL OF STATES ELECTION, CHHATTISGARH
VIDHAN SABHA BHAVAN, RAIPUR

**Biennial Election to the council of States By the Elected Members of the
Chhattisgarh Legislative Assembly**

NOTICE OF ELECTION

No.-vidhan/R. S. Election/2016(1).—Notice is hereby given that -

- (1) an election is to be held of two members to the council of States by the elected members of the Chhattisgarh Legislative Assembly;
- (2) nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers, to the Returning Officer or in his absence to the Assistaant Returning Officer, at Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhavan, Raipur between 11.00 a. m. and 3.00 p. m. on any day (other then public holiday) not later then the 31st may, 2016;
- (3) forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;
- (4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at 2.00 p. m. on 1st June, 2016, at Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhavan, Raipur;
- (5) notice of withdrawal of candidatures may be delivered either by a candidate or by any of his proposer or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 p. m. on the 3rd June, 2016;
- (6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on 11th June, 2016 between the hours of 9.00 in the morning and 4.00 in the afternoon.

Place : Raipur
Date : 24th May, 2016
(Jaistha 3, 1938)

Sd/-
(Devendra Verma)
Returning Officer.

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन, छत्तीसगढ़
विधानसभा भवन, रायपुर

राज्यसभा में दो सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले दो स्थानों को भरने हेतु
राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

रायपुर, दिनांक 24 मई 2016 (ज्येष्ठ 3, 1938-शक)

अधिसूचना

क्रमांक-विधान/रा.स. निर्वाचन/2016 (2).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा में दो स्थानों को भरने के लिए, जिनका कार्यकाल दिनांक 29 जून, 2016 को समाप्त हो रहा है, निर्वाचन के लिए, मैं देवेन्द्र वर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से समिति कक्ष क्रमांक-2, छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन, रायपुर को ऐसे स्थान के रूप में नियत करता हूँ, जहां निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-318/सीएस/2016 (1) दिनांक 24 मई, 2016 के अनुसरण में उक्त निर्वाचन के लिए मतदान होगा.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, COUNCIL OF STATES ELECTION, CHHATTISGARH
VIDHAN SABHA BHAVAN, RAIPUR

Biennial Election to the council of States to Fill Two Seat's of the Member on the Retirement of the
Expiration of the Tarm of Office

Raipur, Dated 24th May, 2016 (Jaistha 3, 1938-Saka)

NOTIFICATION

No.-vidhan/R. S. Election/2016(2). — In pursuance of the provision of sub-section (1) of section 29 of the Representation of the People Act, 1951, I, Devendra Verma, the Returning Officer for the election by the elected members of the Chhattisgarh Legislative Assembly to fill two seats in the Council of States, on the retirement of two members on 29th June, 2016, hereby fix, with the previous approval of the Election Commission the Committee Room No. 2, of Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhavan, Raipur as the place of poll at which a poll will be taken in pursuance of the Election Commission's Notification No. 318/CS/2/2016(1), dated the 24th may, 2016.

Sd/-
(Devendra Verma)
Returning Officer.